



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
बागेश्वर - 263642 (उत्तराखण्ड)**

फैक्स नं०/फोन नं०-05963-220011

ई-मेल : eecd.bageshwar@gmail.com

पत्रांक 816

/ वन भूमि / 09

दिनांक 16 / 03 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय : जनपद बागेश्वर में विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कपकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा कपकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (संख्या 42629/2019) पर लगायी गयी निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन कर दिया गया है। आपके कार्यालय के पत्रांक 2829/12-1-2/बागेश्वर, दिनांक 16.03.2021 के क्रम में ऑन लाईन अपलोड किये गये प्रपत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1.	For point no. 3, FRA certificate uploaded is not complete. Kindly upload the entire relevant document SDLC/VLC meeting proceeding as well as NOC along with FRA.	FRA certificate मय entire relevant document SDLC/VLC meeting proceeding as well as NOC ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2.	Also; submit all the hard copy of the document in original to the NODAL office (NPV certificate, FRA certificate (complete)).	समस्त हार्ड कॉपी नोडल कार्यालय में पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है।

संलग्नक : 1. ऑन लाईन प्राप्त आपत्तियाँ।

2. FRA certificate मय entire relevant document SDLC/VLC meeting proceeding as well as NOC

भवदीय,

(सी.पी.एस. गंगवार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के उपरोक्त पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

Date:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9-98-1-C (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the of forest land proposed to be diverted for non-forest purposes and with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that ...**0.71**.....hectares of forest land proposed to be diverted in the area of Chamak and Pey Jal Nigam, Bageshwar for **Kapkote G.O.V. Pumping Water Supply Scheme in Bageshwar** district falls within jurisdiction of **ग्राम पंचायत Grainay, Kapkote (G.P.)**.....Villages(s) in **Kapkote** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.71**..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23**.... To annexure **23.3**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

26/7/18

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

Official seal of
जिलाधिकारी
बागेश्वर District Collector
Bageshwar

धन अधिकार अधिनियम, 2006 को अन्तर्गत अनुमति प्रमाण पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र

संयोजक कर्मकोट जिला दायेश्वर संतसाधुसंघ में कर्मकोट ग्राम समूह पंचायत में ३०० का
मैमोरील अनु आ. व. नं. ०-३५५ दि. ०-१०-८८ का प्रमाण-०१६४ वन भूमि का संयोजकसंघ में ३०० का
वन में भारत सरकार पर अधिकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित आदेशों प्रमाणित किया गया।
उक्त प्रमाणों के लिए

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मैतार एवं रुपकोट द्वारा दिनांक 06.06.17 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजित एजेन्सी द्वारा आवेदित ग्राम भूमे के सर्वेक्षण, सम्पत्ति मानक एवं निर्मात करने हेतु विस्तार प्राप्त की गयी। यह कि ग्राम अधिभार अधिनियम 2002 के परिधानों के तहत आवेदित इन भूमि में अधिभार अधिनियम के तहत कब्जा/भूमि कार्य में कब्जा नहीं है। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त ग्राम भूमि में कब्जा/भूमि कार्य अधिनियम अधिनियम अधिनियम के तहत कब्जा या कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर निर्माण हेतु आवेदित इन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का सम्पन्न नहीं है।

कपकोट, जेनाइ

... किन्तु एव साही है।

11/11/11

18

श्रीमान्
श्रीमान् पं. बाबासाहेब कृष्णराव
विठ्ठल श. नरहरी - कृष्णराव
जिला. बागलपुर

* १०. किसी आदिवासी अथवा कर्षाज की निजी भूमि प्रत्यक्ष में ही है वह जमीन पर
किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। जिस प्रकार कि जिस जमीन को ही अधिकार है कि जिस
जमीन को अधिकार है एल-सी को जमीन का कर्षाज जमीन

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कपकोट ग्राम समूह पश्चिम पेठ यो 0 का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर, परिक्षेत्र ग्राम मेनास कपकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के अन्तर्गत (0.438 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.108 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.168 हे० पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.814 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों गान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 6.6.17 का सम्मन् व बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रवीन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. श्री <u>रवीन्द्र सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री <u>बलवंत सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. श्री <u>एन० एच० एसिफाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4. श्री <u>तरु सिंह कपकोटी</u> | गी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी व अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद मुख्यालय बागेश्वर में कपकोट ग्राम समूह पश्चिम पेठ यो 0 के निर्माण हेतु 0.108 हे० आरक्षित व भूमि परियोजना हेतु 0.438 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समूह के अन्तर्गत वनधिकार को भी मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम समूह द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदक का दावा/आवेदन पत्र परतुल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम समूह/पंचायत द्वारा

अनुमति जारी की जा चुकी है। जन प्रदर्शन में उपस्थित सार्वजनिक अधिकार समिति द्वारा अनुमति जारी की जा सकती है।

पैतक में सर्वप्रथम से उपस्थित नगरेन्द्र प्रान्त ... तहसील ... कपकोट जिला नागेश्वर के आन्तरिक जनप्रतिष्ठान नागेश्वर में कपकोट ग्राम समूह पंचायत के निर्माण हेतु ... आरक्षण वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम (प्रयोज्य एन-एफ) परिमंडल के निर्माण हेतु वन भूमि के अधिन में राज्य प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित करने पर अनुमति व्यक्त की गयी।


Sub Divisional Magistrate
उपखण्ड (सब-डिवीजन) प्रशासक
तहसील कपकोट

जनपद-नागेश्वर

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, नागेश्वर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


Sub Divisional Magistrate
उपखण्ड (सब-डिवीजन) प्रशासक
तहसील कपकोट
जनपद-नागेश्वर